सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 68 राँची, मंगलवार, 28 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

20 जनवरी, 2025

संख्या-11/आ०-03/2017-382--श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवानिवृत काराधीक्षक, तत्कालीन कराधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद के विरूद्ध कारा निरीक्षणालय के पत्रांक-606, दिनांक 14.02.2017 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन कराधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची के पत्रांक-532, दिनांक-31.01.2017 द्वारा कारा निरीक्षणालय को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसे कारा निरीक्षणालय द्वारा अस्वीकृत किया गया। कारा निरीक्षणालय के अनुशंसा के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड, राँची का संकल्प सं0-2496, दिनांक-15.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें इनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करते हुए निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये :-

आरोप सं0-1:- श्री लखन विश्वकर्मा तिसरा थाना कांड सं०-64/2000, ST No.-202/2000 के अंतर्गत माननीय न्यायालय, मुख्य दंडाधिकारी, धनबाद के न्यायालय से रिमाण्ड होने के उपरांत दिनांक-03.02.2000 को विचाराधीन बंदी के रूप में प्रवेश पाया था। उक्त वाद में श्री विश्वकर्मा को माननीय न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम धनबाद के न्यायालय से दिनांक-03.09.2002 को (दस) वर्षों की कठिन कारावास की सजा दी गयी थी। मंडल काराओं में (दस) वर्षों की सजा प्राप्त बंदियों को केन्द्रीय कारा में स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन श्री आशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद द्वारा नहीं किया गया ।

आरोप सं0-2:- मंडल कारा, धनबाद में दिनांक-03.09.2002 से 21.08.2005 तक सजावार बंदी के रूप में संसीमित लखन विश्वकर्मा को दिनांक-22.08.2005 को कारा विमुक्ति के उपरांत दिनांक-01.09.2005 से सफाई कर्मी के रूप में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने की अनुमति श्री अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद द्वारा प्रदान की गयी ।

आरोप सं०-3-श्री चौधरी को उक्त कृत्य कर्तव्यहीनता, स्वेच्छचारिता एवं संदिग्ध आचारण को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल है ।

संचालन पदाधिकारी, श्री कामेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत, झा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-98, दिनांक 25.09.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित तीनो आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवानिवृत काराधीक्षक, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवानिवृत काराधीक्षक एव अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 68 - 50